



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 568/प्रशा./2024


भोपाल दिनांक 23/04/2024

:: अधिसूचना ::

मध्यप्रदेश राज्यपत्र (असाधारण) क्रमांक 75 दिनांक 11.03.2024 में प्रकाशित एवं विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (संशोधन) 2024 के बिन्दु क्रमांक 2 अनुसार कुलपति के स्थान पर अंग्रेजी में Vice Chancellor तथा हिन्दी में "कुलगुरु" प्रतिस्थापित किया गया है। उपरोक्त प्रावधानुसार विश्वविद्यालय में कुलपति के हिन्दी पदनाम के स्थान पर "कुलगुरु" प्रतिस्थापित किया जाता है।

भविष्य में विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों एवं शासन तथा अन्य संस्थानों को भेजे जाने वाले समस्त पत्राचार/कार्यवाही में "कुलगुरु" पदनाम का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आदेशानुसार



कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 23/04/2024

पृ0क्रमांक 569/प्रशा./2024
प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कक्षाधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
2. प्रभार आई.टी. सेल की ओर इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
3. अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर आपके पत्र दिनांक 05.04.2024 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
4. वित्त नियंत्रक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक के माध्यम से मान. कुलपति/कुलसचिव की ओर सादर सूचनार्थ।


उप-कुलसचिव (प्रशासन)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल